भारत में

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार

द वाई पी फाउंडेशन द्वारा

नीतियों से संबंधित संक्षिप्त विवरण

the yp foundation

विषय सूची

प्रस्तावना

सेक्शन 1 परिचय 01

सेक्शन 2 भारत में ट्रासजेंडर व्यक्तियों पर कानून और उनके प्रभाव 02

सेक्शन 3 ट्रासजेंडर कल्याण बोर्डों का लेखाजोखा 06

सेक्शन 4 ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक 2016 07

सेक्शन 5 विभिन्न समूहों के लिए पैरोकारी निर्देश 09

पारिभाषिक शब्दावली

प्रस्तावना

जेंडर (लिंग) आधारित हिंसा, महिला अधिकार संरक्षण और जेंडर समानता को बढ़ावा देने से जुड़े कानून, नीतियां व कार्यक्रम लंबे समय से पुरुष व स्त्री को लेकर समाज में प्रचलित दो-वर्गीय (बाइनरी) धारणाओं तक ही सीमित रहे हैं। समाज में प्रचलित मर्दाना आदमी और जनाना औरत के दो वर्गों में बंटे इस जेंडर आधारित ढांचे से ऐसे तमाम व्यक्तियों को बाहर रखा गया है जो उस जेंडर (लिंग) से तालमेल नहीं बिठा पाते, जो उन्हें उनके जन्म के समय पर दिया गया था। समाज में प्रचलित यह धारणाएं, उस ढांचे को भी सीमित कर देती हैं, जिसमें शिक्षा, सेवाओं के वितरण और स्वास्थ्य संबंधी नीतियों को पुरुष और स्त्री के दो-वर्गीय ढांचे तक सीमित रख कर तैयार किया जाता है। इन सामाजिक धारणाओं की वजह से ट्रांसजेंडर(उभयलिंगी) और इंटरसेक्स (मध्यलिंगी) व्यक्तियों को अक्सर हाशिए पर डाल दिया जाता है और उन्हें अपने अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है। समाज में ट्रासजेंडर व्यक्तियों द्वारा झेली जाने वाली प्रताड़ना और सजा, देश के कानूनों और नीतियों में साफ नजर आती है। हाल के समय में, सामाजिक अभियानों (सोशल मूवमेंट्स) और कार्यकर्ताओं द्वारा शासन के सामने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और उनकी पहचान सुनिश्चित करने की पुरजोर वकालत की गई है ताकि इनके सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक अधिकारों की रक्षा हो सके। ट्रांसजेंडर अधिकारों को लेकर होने वाली पिछले कुछ समय की और नवीनतम बहसों/विचार विमर्श में उभर कर सामने आए मुद्दों के मद्देनजर, द वाई पी फाउंडेशन ने यह नीतिगत संक्षिप्त विवरण तैयार किया है, ताकि भारत में, वर्तमान समय में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की स्थिति को बेहतर तरीके से समझा जा सके।

द वाई पी फाउंडेशन, युवाओं द्वारा संचालित और युवा नेतृत्व में काम करने वाला संगठन है जो जेंडर (लिंग) आधारित समानता को बढ़ावा देने के लिए "महिला अधिकारवादी व अधिकार" आधारित युवा नेतृत्व को बढ़ावा देता है और उसे विकसित करता है। हम, जेंडर आधारित मुद्दों, जिनमें अधिकारों का उल्लंघन व बहुस्तरीय हिंसा के विषय शामिल हैं, और विभिन्न समुदायों में सौहार्द-भाईचारा बढ़ाने के क्षेत्र में, युवा लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम करने को प्रेरित करने के लिए कार्यरत हैं। लेकिन यह काम तब तक अधूरा रहेगा जब तक कि देश में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की वास्तविक स्थिति को समझ कर उनसे जुड़े मुद्दों का हल नहीं निकाला जाता। युवा ट्रांसजेंडर व्यक्ति कई कारणों से अपनी पहचान उजागर नहीं कर पाते। इन कारणों में शामिल हैं, परिवार द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना, स्कूल/कालेज/शैक्षिक संस्थानों और सार्वजनिक (पब्लिक) स्थानों पर धमकाया/तंग/प्रताड़ित किया जाना आदि। द वाई पी फाउंडेशन, जेंडर आधारित अलग-अलग पहचान वाले युवाओं, अलग-अलग यौन (सेक्सुअल) रुझान, अभिव्यक्तियों और अलग-अलग यौन विशेषताओं वाले युवा लोगों के लिए सुरक्षित जगह बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि विभिन्न युवा वर्गों के लिए अनुकूल माहौल बनाया जा सके। यह नीतिगत विवरण, युवा व्यक्तियों को यह बताने की कोशिश है कि विभिन्न कानून/कानूनों का नहीं होना किस तरह वर्तमान समय में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के जीवन पर असर डाल रहा है। इस विवरण का इस्तेमाल किसी भी व्यक्ति द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए बनाए गए कानूनों व नीतियों को समझने के लिए भी किया जा सकता है और/या जेंडर मुद्दों पर आयोजित होने वाली कार्यशालाओं (वर्कशाप) में या अधिकारों के संरक्षण पर विचार विमर्श को आगे बढ़ाने व हिंसा की रोकथाम के लिए परस्पर संवाद व कार्यवाहियां किए जाने के लिए इस्तेमाल किया सकता है।

सेक्शन 1 परिचय

भारत में पहली बार, 2011 में, राष्ट्रीय जनगणना द्वारा, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की संख्या का अनुमान लगाने का प्रयास किया गया। जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की संख्या लगभग 4.88 लाख थी, इनमें से 55000 की पहचान उनके माता-पिता ने की थी और ये 0 से 6 साल के आयु वर्ग में थे। हालांकि, इसमें यह संभावना थी कि मध्यलिंगी (इंटरसेक्स) बच्चों को भी ट्रांसजेंडर के रूप में जनगणना में शामिल कर लिया गया हो, लेकिन कई कार्यकर्ताओं के मुताबिक, जनगणना के आंकड़े रूढ़िवादी अनुमान हैं।

बहुत से ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपने आपको पुरुष/महिला के दो-वर्गीय जेंडर मापदंड में शामिल करते हैं, इसलिए, हो सकता है कि उन्होंने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों में खुद को दर्ज नहीं करवाया हो। अत:, जनगणना के आंकड़े रूढ़िवादी अनुमान रहे हों।

इसके अलावा, कई ट्रांसजेंडर युवा व व्यस्क (एडल्ट) लोग अपने मूल घर में होने वाली हिंसा की वजह से बेघरों की स्थिति में रहते हैं और इसलिए संभव है कि जनगणना में वे शामिल नहीं हो पाए हों। उदाहरण के लिए, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, कर्नाटक (पीयूसीएल-के) ने बेंगलूर में हिजड़ा सेक्स कर्मियों के बारे में अध्ययन किया। साल 2003 में उनके द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट में ट्रांस पहचान वाले एक युवा व्यक्ति के अनुभवों को शामिल किया गया है।

उसने अपने वक्तव्य में कहा, "सत्रह साल की उम्र में मेरी दिलचस्पी घरेलू कामकाज में ज्यादा होने लगी। आस-पड़ौस के लोग मुझे इस बात को लेकर छेड़ते थे। वे मुझसे कहते कि तुम बाहर जाकर एक पुरुष की तरह काम क्यों नहीं करते या तुम लड़कियों की तरह घर में क्यों घुसे रहते हो। लेकिन मुझे लड़कियों की तरह रहना अच्छा लगता था। मुझे बाहर जाने और कामकाज करने में शर्म महसूस होती। रिश्तेदार भी मेरा मजाक उड़ाते और इन बातों को लेकर डांटते-फटकारते।"

जब वह कानूनी तौर पर एक नाबालिग था, तब उसके माता पिता ने उसे न सिर्फ घर, बल्कि गांव भी छोड़ कर चले जाने को कहा। चूहे मारने की दवा खाकर आत्महत्या करने में नाकाम रहने के बाद उसने घर छोड़ दिया और हिजड़ा समुदाय में शामिल होने की कोशिश की। एक युवा ट्रांस व्यक्ति होने की वजह से उसे नौकरी नहीं मिल पाई और इसके अलावा बेघर होने, यौन कर्मी के तौर पर काम करने, पुलिस द्वारा की जाने वाली हिंसा और कई अन्य कठिनाइयों की वजह से उसकी जिंदगी के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गईं। भारत में ज्यादातर ट्रांस व्यक्तियों के जीवन की यही सच्चाई है। इसके अलावा, जाति. वर्ग और पितृसत्तात्मक दमन/उत्पीड़न की वजह से बहुत से युवा ट्रांस व्यक्तियों को बड़े पैमाने पर हिंसा का सामना करना पड़ता है।

वर्ष 2011 की जनगणना से पता चला कि ट्रांसजेंडर समुदाय में साक्षरता (शिक्षा) का स्तर बहुत कम है, कुल जनसंख्या में जहां साक्षरता 74 प्रतिशत है, वहीं ट्रांसजेंडर समुदाय में साक्षरता 46 प्रतिशत है।

वर्ष 2015 में, केरल में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा कराए गए राज्यस्तरीय सर्वेक्षण के मुताबिक, 58 प्रतिशत ट्रांसजेंडर छात्र दसवीं कक्षा पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं (24 प्रतिशत ट्रांसजेंडर छात्र नवीं कक्षा पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं) इसके कारणों में शामिल हैं-

- अत्यधिक प्रताड़ना की वजह से पढना लिखना नामुमकिन हो जाना
- स्कूल में जेंडर आधारित नकारात्मक व खराब अनुभव
- निर्धनता/विशेष शिक्षा कोटा या आरक्षण नहीं होना

प्रताड़ना की वजह से स्कूल छोड़ने पर मजबूर होने वालों में से, लगभग आधे छात्रों ने घर पर नकारात्मक माहौल होने की बात कही। 51 प्रतिशत ने कहा कि अस्पताल में या डाक्टर के क्लिनिक में उनके साथ भेदभाव किया गया, 100 प्रतिशत ट्रांस व्यक्तियों को उनकी जेंडर पहचान की वजह से नौकरी नहीं मिल पाने का कम से कम एक अनुभव हुआ। 54 प्रतिशत व्यक्तियों की मासिक आय 5000 रुपए से कम थी और सिर्फ 11.6 प्रतिशत के पास नियमित नौकरी थी।

समुचित रिकार्ड या राष्ट्रीय स्तर पर आधिकारिक सर्वेक्षण की कमी की वजह से ट्रांस व्यक्तियों के खिलाफ होने वाली हिंसा का सही अनुमान लगा पाना मुश्किल है, लेकिन रिपोर्टों से पता चलता है कि दुनिया भर में, हर साल नफरत के कारण होने वाले हमलों की वजह से हजारों ट्रांसजेंडर व्यक्ति मारे जाते हैं या बुरी तरह घायल होते हैं। ट्रांस मर्डर मानिटरिंग प्रोजेक्ट के मुताबिक वर्ष 2008 से 2016 के बीच 66 देशों में 2000 हत्याएं हुईं। यह, हर दो दिन में एक हत्या होने के बराबर है।

भारत में

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार

केरल में 2015 में हुए राज्यस्तरीय सर्वेक्षण के मुताबिक

रोजगार के बहुत कम अवसर

54%

व्यक्तियों की मासिक आय 5000 रुपए से कम थी

100%

ट्रांस व्यक्तियों को उनकी जेंडर पहचान की वजह से नौकरी नहीं मिल पाने का कम से कम एक अनुभव हुआ।

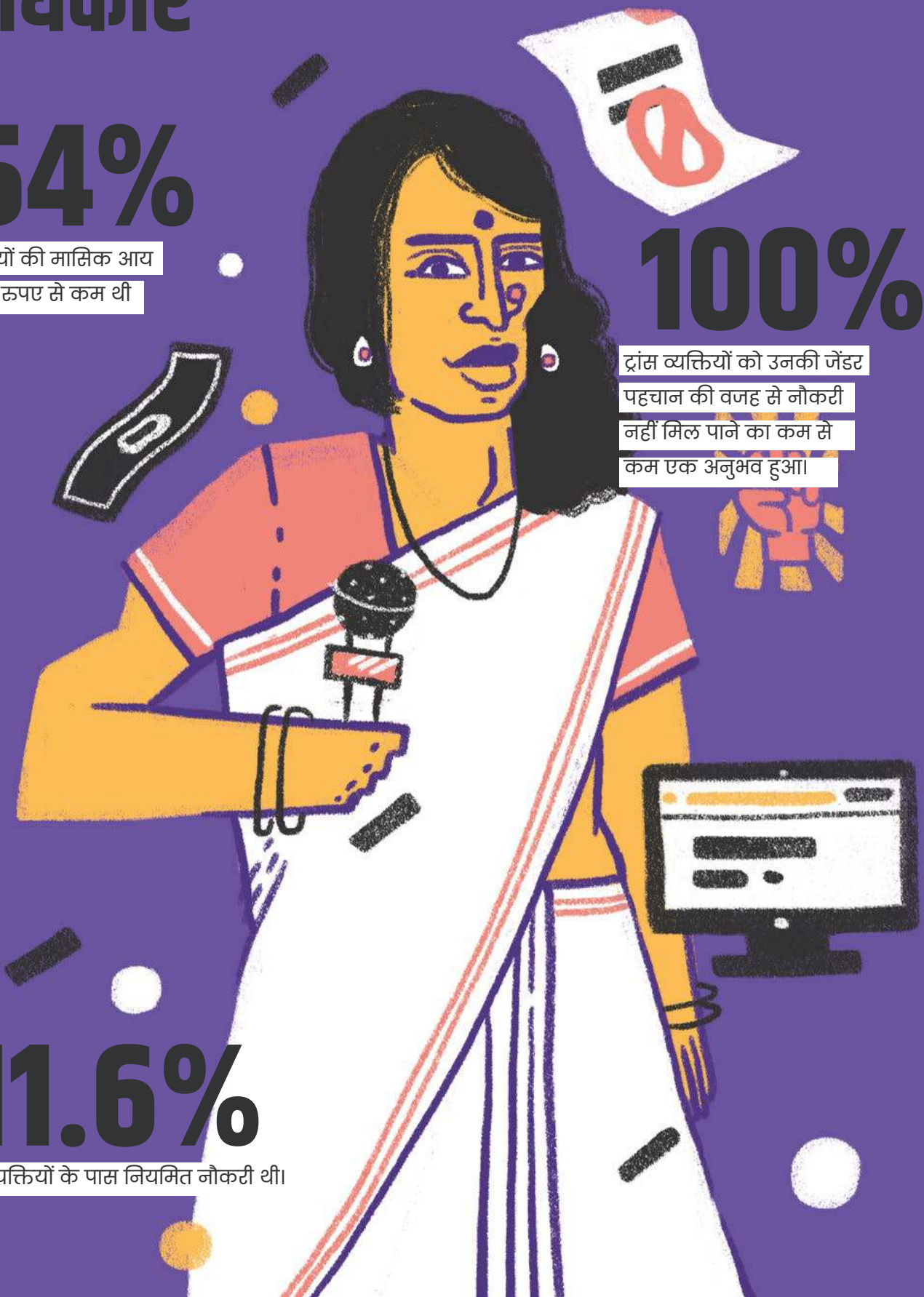

11.6%

ट्रांस व्यक्तियों के पास नियमित नौकरी थी।

भारत में

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार

वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक

बेहद कम साक्षरता दर

- अत्यधिक प्रताड़ना की वजह से पढना लिखना नामुमकिन हो जाना
- स्कूल में जेंडर के आधार पर नकारात्मक/खराब अनुभव
- निर्धनता/विशेष शिक्षा कोटा या आरक्षण नहीं होना

46%

कुल जनसंख्या के 74 % साक्षर व्यक्तियों की तुलना में ट्रांसजेंडर समुदाय में साक्षरता 46 प्रतिशत है

58%

ट्रांसजेंडर छात्र दसवीं कक्षा पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं

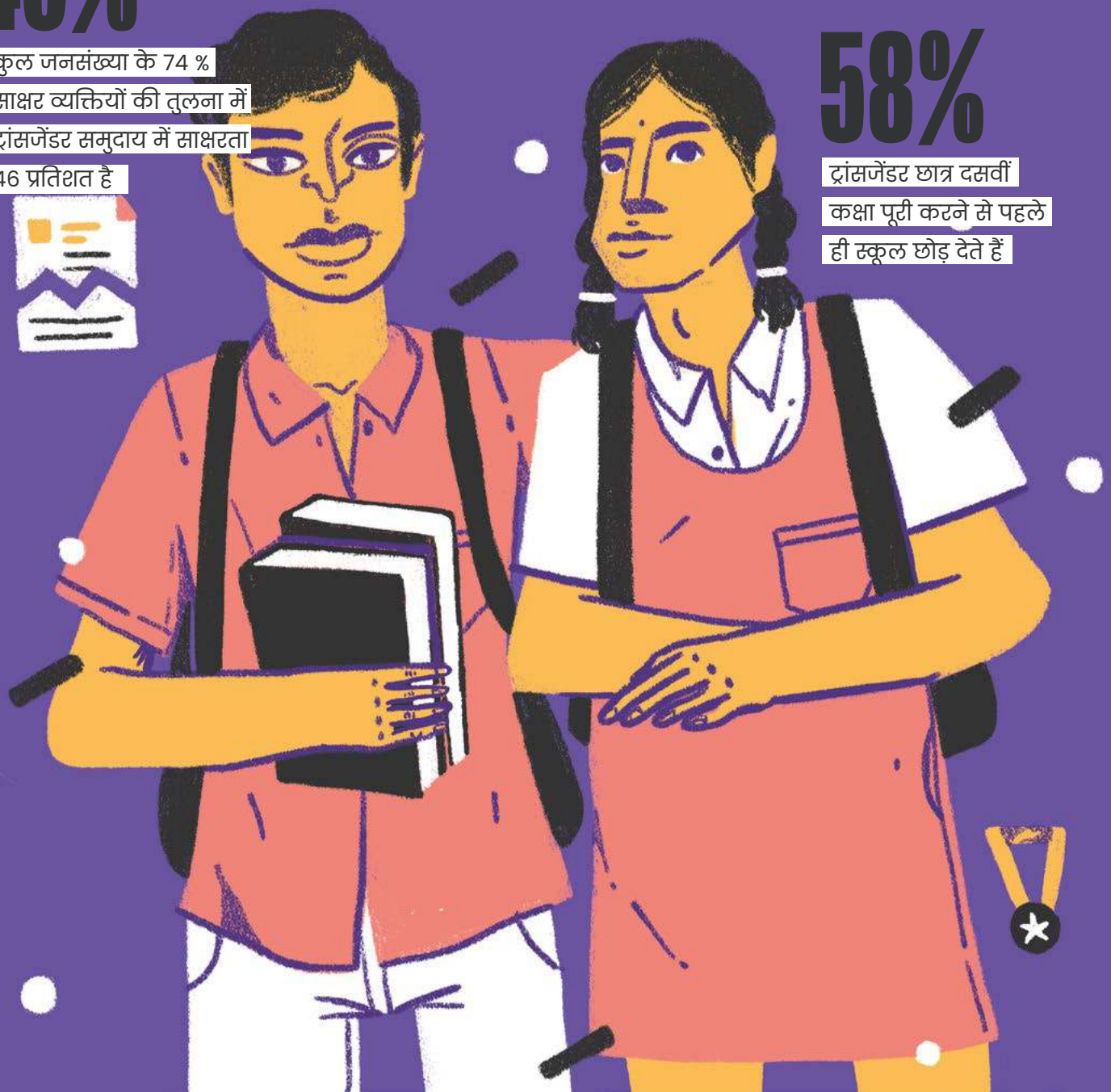

भारत में

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार

हिंसा

28%

का उनके पार्टनर द्वारा यौन उत्पीड़न या बलात्कार

96%

खुद पर होने वाली हिंसा के खिलाफ आवाज नहीं उठाते

52%

पुलिस द्वारा की जाने वाली हिंसा झेलनी पड़ती है

89%

के साथ कार्यस्थल पर बुरा व्यवहार किया जाता है

भारत में

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार

भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर कानून व उनके प्रभाव

अपराधी घोषित करने वाले कानून

भारत में औपनिवेशिक काल और आजादी के बाद के कई ऐसे कानून हैं, जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर नकारात्मक असर डालते हैं और न्यायिक व्यवस्था के तहत उन्हें अपराधी साबित कर सकते हैं। इन कानूनों को लागू करने वाली एजंसियों के पूर्वाग्रहों/नकारात्मक धारणाओं और ट्रांस व्यक्तियों के प्रति सामान्य नकारात्मक राय/विचारों की वजह से ट्रांस व्यक्तियों को अपने मूलभूत अधिकार पाने और कानूनी मदद लेने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है और इस दौरान उन्हें अक्सर सजा या प्रताड़ना ही मिलती है। वर्ष 2015 की केरल ट्रांसजेंडर नीति रिपोर्ट के मुताबिक 52 प्रतिशत ट्रांस व्यक्तियों को पुलिस का उत्पीड़न झेलना पड़ता है, 70.3 प्रतिशत ट्रांस लोग तो पुलिस के पास जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते, 89 प्रतिशत के साथ कार्यस्थल पर बुरा व्यवहार किया जाता है, 28 प्रतिशत ट्रांस व्यक्तियों का, एक साल के भीतर ही, उनके पार्टनर द्वारा यौन उत्पीड़न या बलात्कार किया जाता है, 96 प्रतिशत ट्रांस व्यक्ति अपनी जेंडर पहचान की वजह से खुद पर होने वाली हिंसा की शिकायत नहीं करते।

हालांकि, हाल के समय में, ट्रांस व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए, अंतरराष्ट्रीय ट्रांस अधिकार मानकों के अनुरूप, कानून बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। कई मामलों में, ट्रांस समुदाय की रक्षा के लिए कानूनों का पूरी तरह अभाव है, खासकर, जहां मौजूदा कानून, पुरुष व महिला के दो-वर्गीय मापदंड को ध्यान में रखकर बनाए और परिभाषित किए गए हैं। ट्रांस व्यक्तियों के मुद्दों की बेहतर समझ और ट्रांस अधिकारों की समुचित रक्षा के लिए, कानूनों के इन पहलुओं की पहचान करना बहुत जरूरी व महत्वपूर्ण है।

A . अपराधी घोषित करने वाले कानून

अनैतिक देह व्यापार (रोकथाम) विधेयक 1956

भारत में वेश्यावृत्ति को अनैतिक देह व्यापार (रोकथाम) विधेयक 1956 (आईटीपीए) के तहत रखा गया है। आईटीपीए के तहत जिन कामों के लिए सजा हो सकती है, वे हैं

- वेश्यालय चलाना
- यौन कार्य के आधार पर जीवनयापन
- वेश्यावृत्ति के लिए किसी को खरीदना, उकसाना या बंधक बनाना, और ऐसे मामलों में जहां अपराध बच्चों (16 साल - व नाबालिग – 18 साल तक) के खिलाफ किया गया हो, वहां सजा और भी ज्यादा है
- पुलिस द्वारा अधिसूचित की गई जगहों और सार्वजनिक स्थानों पर वेश्यावृत्ति

यौन संबंध के लिए आग्रह (सॉलीसिटिंग)

पुलिस को गिरफ्तारी या तलाशी के लिए वारंट की जरूरत नहीं है।

इस कानून के तहत, ऐसी ट्रांस महिलाएं, जो जीवनयापन के लिए यौन कार्य पर निर्भर हैं, और यदि वे सार्वजनिक जगह पर या जब होटल में छापेमारी हो, वहां यौन संबंध के लिए आग्रह करती हुई पाई जाएं तो उन्हें पुलिस द्वारा पकड़ा जा सकता है,
वास्तविकता यह है कि, ट्रांस महिलाएं जब यौन संबंध के लिए आग्रह करने में संलिप्त नहीं भी होतीं हैं, या जब वे सार्वजनिक स्थान पर मौजूद भर होती हैं, या किसी गली/सड़क पर पाई जाती हैं, तो भी यह मान लिया जाता है कि वे यौनकार्य में संलिप्त होंगी और उन्हें पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है।

भिक्षावृत्ति निरोधक कानून

भारत में, ऐसा कोई केंद्रीय कानून नहीं है जिसके तहत भीख मांगने पर सजा का प्रावधान हो, लेकिन 22 राज्यों में (जिनमें कुछ केंद्रशासित प्रदेश भी शामिल हैं) अपने-अपने भिक्षावृत्ति निरोधक कानून हैं। सभी राज्यों के भिक्षावृत्ति कानून बांबे भिक्षावृत्ति निरोधक कानून, 1959 पर आधारित हैं। निम्न राज्यों में भीख मांगने पर सजा देने वाले कानून हैं-

- आंध्र प्रदेश
- असम
- बिहार
- छत्तीसगढ़
- गोवा
- गुजरात
- हरियाणा
- हिमाचल प्रदेश
- जम्मू-कश्मीर
- झारखंड
- कर्नाटक
- केरल
- मध्य प्रदेश
- महाराष्ट्र
- पंजाब
- सिक्किम
- तमिलनाडु
- उत्तराखंड
- उत्तर प्रदेश
- पश्चिम बंगाल
- दमन व दीव
- दिल्ली

इसके अलावा, ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) विधेयक 2016 में भी भिक्षावृत्ति को अपराध माना गया है। कानून कहता है, कोई भी व्यक्ति जो किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को भिक्षावृत्ति के लिए बाध्य करता है या उकसाता है या मजबूर करने वाली अथवा, सरकार द्वारा किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आदेशित अनिवार्य सेवा को छोड़कर, बंधुआ मजदूरी जैसे अन्य कार्यों में धकेलता है, उसे कम से कम छह माह से लेकर दो साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है।

वास्तविकता यह है कि सार्वजनिक स्थानों पर पाए जाने वाले शारीरिक रूप से अक्षम लोग, गरीब लोग और ट्रांस महिलाओं के लिए यह मान लिया जाता है कि वे भीख मांग रहे होंगे और उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। उदाहरण के लिए, बेंगलूर में नवंबर 2014 में, 200 से ज्यादा ट्रांस महिलाओं को पुलिस द्वारा पकड़ा गया और बेगर्स कालोनी नाम के एक कुख्यात पुनर्वास केंद्र में भेज दिया गया। यहां तक कि पुलिस ट्रांस महिलाओं के घरों पर छापेमारी करके उन्हें गिरफ्तार कर लेती है।

नोट - इस कानून के तहत गिरफ्तारी के लिए पुलिस को वारंट की भी जरूरत नहीं होती।

धारा 377

अप्राकृतिक अपराध – कोई भी व्यक्ति जो किसी पुरुष, महिला या पशु के साथ अप्राकृतिक शारीरिक संभोग करता है, उसे (उम्र कैद) या दस साल तक की कैद हो सकती है और जुर्माना लगाया जा सकता है।

इस धारा के तहत, हालांकि कानूनी तौर पर, व्यक्तियों के बीच कोई भी, "गैर शिश्न योनि सेक्स", अपराध है लेकिन वास्तविकता में, इस धारा का उपयोग होमोसेक्सुअल (समलिंगी) और ट्रांस व्यक्तियों को तंग करने, डराने-धमकाने और उन्हें अपराधी साबित करने के लिए किया जाता है।

उदाहरण के लिए, 2016 में ऐसी रिपोर्टें मिलीं कि कर्नाटक के कोप्पल जिले में एक ट्रांस महिला और उसके प्रेमी को, जिन्होंने विवाह कर लिया था, प्रेमी के परिवार वालों द्वारा धारा 377 के तहत केस करने के नाम पर धमकियां दी गईं।

वर्ष 2017 में, कोर्ट ने पुणे के वडगांव बुडरुक में 19 वर्षीय ट्रांस लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के चार आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि न तो धारा 377 (जिसके तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था) जो किसी पुरुष, महिला या पशु के साथ अप्राकृतिक शारीरिक संभोग को गैर-कानूनी घोषित करती है, और न ही धारा 376 जो बलात्कार निरोधक कानून है और जिसमें महिला को पीड़ित/सर्वाइवर के तौर पर उल्लिखित किया गया है, इस मामले में पीड़ित/सर्वाइवर, जिसकी पहचान ट्रांसजेंडर बताई गई है, पर लागू नहीं होती है।

वर्ष 2001 में, नाज फाउंडेशन (इंडिया) ट्रस्ट, एनजीओ जिसने दिल्ली हाई कोर्ट में धारा 377 को चुनौती दी थी और दलील दी थी कि दो व्यस्कों के बीच सहमति से होने वाले समलिंगी संबंध की अनुमति दी जाए। लेकिन वर्ष 2003 में कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया था।

हाई कोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने को नाज फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसने हाई कोर्ट को मामले पर पुनर्विचार करने को कहा। इसका नतीजा 2009 में उस ऐतिहासिक फैसले के रूप में आया जिसमें मुख्य न्यायाधीश एपी शाह और न्यायमूर्ति एस मुरलीधर ने दो व्यस्कों के बीच सहमति से बनाए गए यौन संबंध को कानूनन वैध करार दिया। ग्यारह दिसंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट के दो जजों के पैनल ने हाई कोर्ट के 2009 के इस फैसले को पलट दिया। फैसले में कहा गया कि कानून में बदलाव की शक्ति संसद के पास है, न कि हाई कोर्ट के पास, इसलिए, उनका (हाई कोर्टों) फैसला संवैधानिक तौर पर सही नहीं है।

धारा 320 गंभीर रूप से चोट पहुंचाना

कोई भी, जो किसी को बधिया करता है, किसी व्यक्ति की आंख की रोशनी छीनता है, किसी के कान की सुनने की क्षमता को स्थाई रूप से हानि पहुंचाता है, किसी सदस्य या संयुक्त रूप से किन्हीं व्यक्तियों की शक्तियों को स्थाई रूप से नष्ट या गंभीर चोट पहुंचाता है, सिर या चेहरे को स्थाई रूप से विकृत करता है, फ्रेक्चर या हड्डी या दांत को चोट पहुंचाता है और कोई भी वह चोट, जिससे जिंदगी को खतरा हो या जिसकी वजह से पीड़ित बीस दिन तक गंभीर व तीव्र दर्द की अवस्था में रहे या अपने रोजमर्रा के काम नहीं कर पाए।

कोई ट्रांस महिला, जो स्वैच्छिक रूप से, लिंग (जेंडर) पुष्टि प्रक्रिया के लिए, अस्पताल को छोड़कर, किसी भी अन्य स्थान पर जाती है, तो उसके खिलाफ इस धारा के तहत मामला चलाया जा सकता है।

कर्नाटक पुलिस अधिनियम

वर्ष 2011 में, कर्नाटक पुलिस अधिनियम में धारा 36ए जोड़ी गई।

36ए, हिजड़ों के लिए नियम तय करने का अधिकार – हिजड़ों की अवांछित गतिविधियों को नियंत्रित करने, दबाने या रोकने के लिए, कमिश्नर अपने प्रभाव में आने वाले किसी इलाके में, आफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के जरिए, आदेश दे सकता है –

(a) अपने प्रभाव में आने वाले इलाके के सभी हिजड़ों, खासकर ऐसे हिजड़े, जो लड़कों का अपहरण व उन्हें बधिया कर सकते हों या कोई अप्राकृतिक अपराध कर सकते हों या कोई अन्य अपराध या ऐसे अपराध दूसरों से करवा सकते हों, ऐसे सभी हिजड़ों के नाम व निवास स्थान के पतों की सूची का रजिस्टर बनाने के लिए आदेश दे सकता है।

(b) रजिस्टर में किसी हिजड़े द्वारा अपना नाम शामिल कराने के संबंध में की गई आपत्तियों को दर्ज करने, और लिखित रूप में कारणों का उल्लेख करके किसी नाम को रजिस्टर से हटाने का आदेश दे सकता है।
(c) आदेश में उल्लिखित गतिविधियां करने से किसी पंजीकृत हिज़ड़े को रोक सकता है।
(d) कोई भी अन्य मामला, जिसे वह जरूरी समझता है।

यह स्पष्ट है कि सिर्फ किसी व्यक्ति के ट्रांस होने के आधार पर ही उसे अपराधी समझ लेना और बिना किन्हीं सबूतों के, मात्र पूर्वाग्रहों के आधार पर उनकी गतिविधियों को गैर कानूनी करार देना अपने आप में आपराधिक कृत्य है। यह समानता. स्वतंत्रता और गरिमा के मूलभूत अधिकार का उल्लंघन है।

सार्वजनिक स्थल पर उत्पात

भारतीय दंड संहिता में धारा 268
268, सार्वजनिक स्थल पर उत्पात – कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर उत्पात का दोषी होगा, यदि वह कोई भी ऐसा कार्य करता है या किसी गैर कानूनी चूक का जुर्म करता है जिसकी वजह से उन व्यक्तियों को खतरा हो या किसी तरह की असुविधा हो, जो उस इलाके में रहते हों या उस इलाके में उनकी संपत्ति हो अथवा ऐसे व्यक्तियों को चोट, बाधा पहुंचे या खतरा व असुविधा हो, जो वहां अपने सार्वजनिक अधिकारों का उपयोग करने के अवसर पर एकत्रित हुए हों। सार्वजनिक स्थल पर उत्पात को इस आधार पर माफ नहीं किया जा सकता है कि उसकी वजह से किसी को कोई सुविधा मिली हो या लाभ पहुंचा हो।

ट्रांस व्यक्तियों को इस कानून के आधार पर अक्सर उत्पीड़ित किया जाता रहा है क्योंकि यह दावा किया जाता है कि सार्वजनिक स्थल पर उनकी मौजूदगी मात्र से ही व्यक्तियों को परेशानी या असुविधा होती है।

B) कानूनों का अभाव

यौन हमला और बलात्कार विरोधी कानून

आईपीसी की धारा 375 बलात्कार को पुरुष द्वारा महिला के विरुद्ध किए गए अपराध के तौर पर परिभाषित करती है।

वर्तमान समय में यौन हमले से संबंधित कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता हो।

अत्याचार

ट्रांस समुदाय के खिलाफ उत्पीड़न के कई ऐसे विशिष्ट मामले होते हैं जिनसे बचने के लिए किसी तरह के सुरक्षात्मक कानून नहीं हैं। ट्रांस व्यक्तियों के खिलाफ अत्याचार के कुछ उदाहरण ये हैं – कपड़े उतरवा कर और नंगे करके सबके सामने परेड करवाना, किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को उस जेंडर से जबरन जोड़ देना जो उसने अपने जीवन में अस्वीकार कर दिया हो, युवा ट्रांस व्यक्तियों को घर में नजरबंद कर देना, उनके द्वारा चुने गए जेंडर को "सुधारने" के लिए जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती करवाना, ट्रांस व्यक्तियों को उनके नए नाम से नहीं बुलाना (उन्हें उनके जन्म के समय दिए गए नाम से बुलाना), उन्हें नौकरी व रोजगार से वंचित करना, उन पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करना।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) विधेयक 2016 (ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन आफ राइट्स) बिल 2016), के द्वारा कुछ अपराधों को, जैसे ट्रांस व्यक्तियों को पब्लिक पैसेज नहीं दिया जाना, सार्वजनिक स्थानों पर मौजूद नहीं रहने देना, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को घर, गांव या उनके अन्य निवास स्थान से जबरन निकाल देना, या ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के जीवन को, उनकी सुरक्षा को खतरा पहुंचाना, या उनके सकुशल जीवनयापन को, चाहे वह शारीरिक तौर पर हो या मानसिक, या उनका शारीरिक उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, मौखिक व भावनात्मक उत्पीड़न व आर्थिक उत्पीड़न करना आदि, को कानून के दायरे में लाया गया है।

हालांकि अब भी, इन कानूनों में किसी तरह की राहत राशि का उल्लेख नहीं है, चाहे अपराध जमानती या गैर जमानती हो अथवा किसी तरह के शिकायत निपटान तंत्र की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

विरासत कानून

धार्मिक कानूनों के मुताबिक, विभिन्न विरासत कानून लिंग निर्दिष्ट हैं। बहुत से ट्रांस व्यक्तियों को उनके मूल परिवारों द्वारा संपत्ति में उनके हिस्से से,यदि कोई है,वंचित कर दिया जाता है, जिस वजह से ऐसे ट्रांस व्यक्तियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

बच्चा गोद लेना

सेंट्रल एडाप्शन रिसोर्स अथारिटी-सीएआरए (केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण) की वेबसाइट पर ऐसे दंपतियों व एकल पुरूषों/महिलाओं के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन फार्म उपलब्ध हैं. जो बच्चा गोद लेना चाहते हैं। इस पेज पर आवेदक की श्रेणी में गोद लेने वाले मातापिता के लिए सिर्फ तीन ही विकल्प ही मौजूद हैं, - पुरूष, महिला व दंपति। कई ट्रांस लोग, जो बच्चे गोद लेना चाहते हैं, को कानूनी तौर पर इसकी अनुमति नहीं है।

c) कानूनों को सशक्त बनाना

राष्ट्रीय विधि सेवाएं प्राधिकरण (नाल्सा) फैसला

सुप्रीम कोर्ट के जजों न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन पन्नीकर और न्यायमूर्ति एके सीकरी द्वारा 15 अप्रैल 2014 को राष्ट्रीय विधि सेवाएं प्राधिकरण (नाल्सा) की ओर से दायर एक याचिका पर दिए गए फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए इसका चौतरफा स्वागत किया गया।

फैसले के प्रमुख अंश -

- ट्रांस व्यक्तियों द्वारा अपने जेंडर को, जेंडर पुष्टि संबंधी सर्जरी या हार्मोनल उपचार को ध्यान में रखे बगैर, पुरूष, महिला या तीसरे लिंग के तौर पर उल्लिखित करने के अधिकार को कायम रखा।
- ट्रांस व्यक्तियों को सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों में घोषित किया और उन्हें रोजगार व शिक्षा में आरक्षण देने को कहा।
- केंद्र व राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे अलग से एचआईवी निगरानी केंद्र (सेरो-सर्विलांस सेंटर) बनाएं क्योंकि ट्रांसजेंडर व हिजड़ों को कई स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का सामना करना पड़ता है।
- केंद्र व राज्य सरकारों को कहा गया कि वे अस्पतालों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को उपचार मुहैया कराने के लिए पर्याप्त उपाय करें और साथ ही उन्हें पृथक सार्वजनिक शौचालय व अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएं।
- सामाजिक कल्याण योजनाओं में इन व्यक्तियों को शामिल करने के लिए निर्देश दिए जाएं।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ पूर्वाग्रहों/नकारात्मक धारणाओं को समाप्त करने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम तैयार किए जाएं।

लेकिन, इस फैसले के 3 साल बाद तक भी, केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा इसे लागू किया जाना बाकी है। ट्रांस व्यक्तियों द्वारा अपना जेंडर खुद तय करने के अधिकार को भी अभी तक, "कानूनी तौर पर जेंडर बदलाव" से सम्बंधित किसी प्राधिकरण द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। भारत में इसका परिणाम, दुर्भाग्य से इस परिस्थिति के रूप में हुआ है कि कागजों पर तो ट्रांस व्यक्तियों को अधिकार देने के वादे किए गए हैं, लेकिन हकीकत में इन्हें लागू करना अभी बाकी है।

हालांकि, कई राज्य सरकारों ने ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं ताकि इस समुदाय को वे लाभ दिए जा सकें जो इन्हें मिलने चाहिए। नाल्सा फैसले को लागू करने में केंद्र सरकार की ओर से इच्छा के अभाव की वजह से, कार्यकर्ताओं द्वारा अपने-अपने राज्यों में सरकारों पर दबाव डाला जा रहा है ताकि ट्रांस लोग अपने अधिकार हासिल कर सकें। इस दिशा में जमीनी हकीकत को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि विभिन्न राज्यों में ट्रांस व्यक्तियों के लिए कौन-कौन सी योजनाएं और कल्याण बोर्ड बनाए गए हैं।

सेक्शन 3 कल्याण बोर्डों का लेखा-जोखा

वर्तमान समय में, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान और चंडीगढ़ में ट्रांस कल्याण बोर्ड/ट्रांस विकास बोर्ड हैं।

भारत में 2008 में कल्याण बोर्ड बनाने वाला पहला राज्य तमिलनाडु था। इन्हें अरावनी कल्याण बोर्ड कहा गया और शारीरिक जांच के बाद ही पहचान पत्र दिए गए। बोर्ड ने राज्य के ट्रांस पुरुषों की जरूरतों को शामिल नहीं किया और कई साल तक बोर्ड निष्क्रिय रहा क्योंकि सदस्यता का नवीनीकरण नहीं किया गया, जिसकी वजह से बोर्ड की बैठकें नहीं हो पाईं।

- अप्रैल 2016 में, राजस्थान में ट्रांस कल्याण बोर्ड बनाया गया।
- अगस्त 2016 में, मणिपुर में कल्याण बोर्ड बनाया गया लेकिन बजट आबंटन नहीं होने की वजह से यह काम नहीं कर रहा है।
- केरल में 2017 में कोच्चि और त्रिवेंदरम में कल्याण बोर्ड बनाए गए, इनमें ट्रांस पुरुषों को भी शामिल किया गया, लेकिन चूंकि यह प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में है, इसलिए ट्रांस समुदाय को योजनाओं का लाभ मिलना अभी बाकी है।
- पश्चिम बंगाल में 2015 में, ट्रांस विकास बोर्ड बनाया गया, मानोबी बंधोपाध्याय (एक कालेज के पहले ट्रांसजेंडर प्रिंसिपल) को इसका वाइस चेयरपर्सन बनाया गया, लेकिन यह बोर्ड अभी सक्रिय नहीं है।
- आंध्र प्रदेश में 2017 में, हिजड़ा ट्रांसजेंइर कल्याण बोर्ड बनाया गया। सरकार ने ट्रांस व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना का ऐलान किया है।
- महाराष्ट्र में 2014 में ट्रांस विकास बोर्ड बनाया गया, 2017 में इस तरह की रिपोर्ट आईं कि महिला व बाल कल्याण मंत्रालय के अधीन एक कार्यकारी समिति बनाई जा रही है जो ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का कामकाज सुनिश्चित करेगी।
- चंडीगढ़ में अगस्त 2017 में ट्रांस कल्याण बोर्ड का गठन किया गया।

पेंशन व अन्य योजनाएं

कर्नाटक - कर्नाटक सरकार ने अक्तूबर 2013 में राज्य में ट्रांस व्यक्तियों के लिए मैत्री पेंशन योजना शुरू की। इसके तहत 18 से 64 वर्ष आयु के ट्रांस लोग 500 रुपए प्रति माह पेंशन के हकदार होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 12000 रुपए वार्षिक से कम आय वाले और शहरी क्षेत्रों में 17000 रुपए वार्षिक से कम आय वाले ट्रांसजेंडर व्यक्ति योजना का लाभ पा सकते हैं।

ओडीशा – ट्रांस व्यक्तियों को बीपीएल कार्ड दिए गए हैं और उनके लिए मुफ्त आवास, हर साल सौ दिन के काम के लिए भुगतान,पेंशन, व्यापार आरंभ करने के लिए कर्ज आदि की योजनाएं शुरू की गई हैं। भारत के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वे हर महीने 5 किलो खान पान की वस्तुएं पाने के हकदार होंगे।

केरल – ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 2015 में राज्य नीति का ऐलान किया गया। 60 साल से ऊपर के ट्रांस व्यक्तियों के लिए पेंशन की घोषणा की गई। कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड ने आगे आकर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को हाउसकीपिंग, कस्टमर केयर और भीड़ नियंत्रण सेक्शन में नौकरियां देने की पेशकश की। लेकिन कई ट्रांस व्यक्तियों ने आवास सुविधाएं नहीं होने और कम वेतन की वजह से नौकरी छोड़ दी। केरल यूनिवर्सिटी ने भी ट्रांस नीति की घोषणा की जिसमें रैगिंग, भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा का आश्वासन, विशेष सुविधाओं, जागरूकता कार्यक्रमों और शिक्षा तक बाधा-रहित पहुंच का वादा किया गया।

त्रिपुरा में 2015 में, राज्य में ट्रांस व्यक्तियों के लिए 500 रुपए प्रति माह की पेंशन का ऐलान किया गया।

कुछ राज्य सरकारों ने, हाल ही में कल्याण योजनाओं की शुरुआत की है, लेकिन जिन राज्यों में ऐसी योजनाएं कुछ साल पहले शुरू हो गई थीं, उन्होंने ट्रांस व्यक्तियों तक जरूरी सुविधाएं व लाभ पहुंचाने में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। केंद्र सरकार की तरफ से ट्रांस अधिकारों को लेकर कानून लाने का हाल ही का एक कदम ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक 2016 (ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन आफ राइट्स) बिल 2016 है।

भारत में

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार

राज्य कल्याण बोर्डों का लेखा-जोखा

11 अक्तूबर 2017 तक की स्थिति

2017 चंडीगढ़

2016 राजस्थान

2015 पश्चिम बंगाल
सक्रिय नहीं

2015 बिहार
किन्नर कल्याण बोर्ड

2016 मणिपुर
सक्रिय नहीं (बजट आबंटन के अभाव में)

2014 छत्तीसगढ़
तीसरा लिंग कल्याण बोर्ड

महाराष्ट्र 2014
ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का कामकाज शुरू करने के लिए महिला व बाल कल्याण मंत्रालय के तहत सिर्फ एक कार्यकारी समिति के गठन की रिपोर्ट

2017 आंध्र प्रदेश

केरल 2017
चूंकि योजनाएं शुरुआती चरण में ही हैं, इसलिए ट्रांस समुदाय को इनका लाभ मिलना बाकी है

2008 तमिलनाडु
अरावनी कल्याण बोर्ड बनाने वाला पहला राज्य, लेकिन इनमें ट्रांस पुरुषों की जरूरतें शामिल नहीं

सेक्शन 4 ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की रक्षा) विधेयक 2016

पृष्ठभूमि

दिसंबर 2014 में द्रविड़ मुनेत्र कषगम के राज्यसभा सांसद, तिरुचि शिवा, निजी विधेयक के तौर पर दि राइट टू ट्रांसजेंडर पर्सन्स बिल 2014 को लेकर आए। यह बिल लोकसभा में पेश नहीं हुआ। दिसंबर 2015 में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने राइट टू ट्रांसजेंडर पर्सन्स बिल 2015 का प्रारूप सामने रखा और आम लोगों से इस पर जनवरी 2016 तक अपनी राय व सुझाव भेजने को कहा।

ट्रांस समूहों द्वारा कई सिफारिशें किए जाने के बावजूद, ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन आफ राइट्स) बिल 2016 का कहीं अधिक पुरातनपंथी-कट्टर स्वरूप लोकसभा में 2 अगस्त 2016 को पेश किया गया। ट्रांस नेतृत्व वाले कई समूहों और कानूनी मदद देने वाले ग्रुपों ने फिर से अपने सुझाव व सिफारिशें भेजीं और कुछ समूहों ने संसदीय स्थाई समिति के सामने जाकर अपनी राय रखी। 21 जुलाई 2017 को सामाजिक न्याय व अधिकारिता स्थाई समिति, जिसके अध्यक्ष भाजपा लोकसभा सांसद रमेश ब्यास थे और 17 लोकसभा सदस्य व 10 राज्यसभा सदस्य भी इसमें शामिल थे, ने ट्रांसजेंडर बिल 2016 पर अपनी 43वीं रिपोर्ट पेश की।

ट्रांसजेंडर बिल 2016 के मुख्य प्रावधान और मुद्दे

ट्रांसजेंटर व्यक्तियों की परिभाषा

मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की परिभाषा इस प्रकार तय की–
न तो पूरी तरह महिला, न पूरी तरह पुरुष या महिला व पुरुष का सम्मिलित रूप या न महिला न पुरुष

बिल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की परिभाषा के लिए सिर्फ, तीसरे लिंग के उल्लेख पर निर्भर रहा और इसने ट्रांस व्यक्तियों को पुरुष, महिला या तीसरे लिंग के तौर पर अपनी पहचान तय करने का अधिकार देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कायम नहीं रखा।

जेंडर पहचान सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया

एक ट्रांस या इंटरसेक्स (मध्यलिंगी) व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन करना पड़ता है, जो, जिला स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश पर किसी व्यक्ति को ट्रांसजेंडर के रूप में सर्टिफाई करता है। जिला स्क्रीनिंग कमेटी, व्यक्ति की शारीरिक जांच के बाद ही अपनी सिफारिश करती है। इस कमेटी में चीफ मेडिकल आफिसर, उस जिले में ट्रांसजेंडर कल्याण के क्षेत्र में ट्रांस समुदाय के व्यक्तियों के साथ/या किसी प्रख्यात व्यक्ति के साथ 5 साल तक काम करने का अनुभव रखने वाला जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी, एक मनोविज्ञानी या मनोचिकित्सक, ट्रांस समुदाय का एक प्रतिनिधि और एक सरकारी अधिकारी शामिल होता है।

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ट्रांसजेंडर बिल 2016 पर हाल ही के विचार विमर्श से यह बात सामने आई कि शारीरिक जांच की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का उल्लंघन है जो, जेंडर पहचान स्वयं तय करने का अधिकार, जेंडर पुष्टि करने वाली सर्जरी या हार्मोनल उपचार को ध्यान में रखे बिना, ट्रांसजेंडर व्यक्ति को देता है।

ट्रांस और इंटरसेक्स श्रेणियों को मिलाना

कमेटी की इस सिफारिश को, कि बिल का नाम बदल कर "दि ट्रांसजेंडर एंड इंटरसेक्स पर्सन्स (प्रोटेक्शन आफ राइट्स) बिल 2016" किया जाए, मंत्रालय ने नामंजूर कर दिया। मंत्रालय का कहना था कि ट्रांसजेंडर एक व्यापक अवधारणा है जिसमें इंटरसेक्स लोग भी शामिल हैं, इसलिए बिल का नाम बदलने का कोई लाभ नहीं होगा।
कई इंटरसेक्स लोग हालांकि खुद को ट्रांसजेंडर के रूप में मानते हैं लेकिन ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स व्यक्तियों में काफी अंतर है, ये अंतर अब आपस में घुलमिल गए हैं।

ट्रांसजेंडर/"जेंडर गैर अनुकूल" (जेंडर नॉन कन्फर्मिंग चिल्ड्रन) बच्चों को उनके मूल परिवार के साथ रखना

बिल में कहा गया है कि ट्रांसजेंडर बच्चों को उनके जन्मजात परिवार के साथ रहने की इजाजत दी जाए और यदि सगा परिवार बच्चे की देखभाल नहीं कर सकता तो किसी सक्षम अदालत से आदेश लेकर, बच्चे को पुनर्वास केंद्र में रखा जाए। बिल हिजड़ा परिवारों को दत्तक (गोद लेने की) प्रकिया के लिए मान्यता नहीं देता। जबकि बहुत से युवा ट्रांस लोग जब हिंसा की वजह से अपने जन्मजात परिवार छोड़ देते हैं तो गोद लेने की प्रक्रिया पर निर्भर करते हैं।

- इन व्यक्तियों के लिए रोजगार के स्पष्ट अवसर या आजीविका के लिए योजनाएं उपलब्ध नहीं हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें शैक्षिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों में शामिल करने को कहा था लेकिन बिल में ऐसा प्रावधान नहीं है और शिक्षा व नौकरियों में इन्हें आरक्षण देने की जमीनी कार्रवाई नहीं हुई।
- भिक्षावृत्ति को अपराध माना जाना – रोजगार के अवसरों के अभाव में, भिक्षावृत्ति को भी अपराध घोषित कर देने से ट्रांस व्यक्तियों को पुलिस उत्पीड़न जैसी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

हालांकि, नीतियां तैयार करने, कानून बनाने और उन्हें लागू करने के स्तर पर अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, लेकिन फिर भी, कई ऐसे तरीके हैं जिनसे विभिन्न वर्गों के लोग ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।

सेक्शन 5
विभिन्न ग्रुपों के लिए पैरोकारी करने से संबंधित निर्देश

भारत में

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार

नीति निर्माता क्या कर सकते हैं

ट्रांस और इंटरसेक्स व्यक्तियों के मुद्दों पर स्वयं को जागरूक करें और सुनिश्चित करें कि एक "प्रगतिशील ट्रांस अधिकार बिल" पर चर्चा हो और इस जल्द से जल्द पास करवा के लागू किया जाए।

ट्रांस अधिकारों पर सुपीम कोर्ट के फैसले को लागू किया जाए और विभिन्न राज्यों में ट्रांस कल्याण के लिए घोषित योजनाओं की समुचित निगरानी और समीक्षा हो।

नीतियां बनाते समय यह सुनिश्चित करें कि अधिक से अधिक लोकतांत्रिक व संपूर्ण भागीदारी वाला फ्रेमवर्क तैयार हो जिसमें सभी प्रभावित वर्गों द्वारा उठाए गए मुद्दे शामिल हों।

ट्रांस व्यक्तियों को शिक्षा व रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए लक्ष्य-केंद्रित कदम उठाए जाएं और इन्हें लागू करने की दिशा में ठोस कार्रवाई की जाए।

भारत में

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार

नागरिक क्या कर सकते हैं

ट्रांस व्यक्तियों से बलात्कार व उनकी हत्याओं के अपराधों के विरोध में आवाज उठाएं।

पुलिस व न्यायिक व्यवस्था पर दबाव बनाएं कि जब ट्रांस व्यक्ति अपने साथ हुई हिंसा की रिपोर्ट करें तो उन्हें उचित न्याय मिले।

अपने साथियों-सहयोगियों को ट्रांस व्यक्तियों के बारे में सही जानकारी देकर शिक्षित करें ताकि आम व्यक्तियों में इनसे जुड़े भ्रम, भ्रांतियों और मिथ्या धारणाओं को समाप्त किया जा सके।

स्कूलों में ट्रांस बच्चों और किशोरों को सहयोग/समर्थन देना और यदि यह पता चलता है कि किसी ट्रांस बच्चे को उसके जन्मजात परिवार द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है तो मामले में दखल देकर बच्चे की मदद करना।

भारत में

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार

कार्यकर्ता क्या कर सकते हैं

- अपने कार्य व लक्ष्यों में जेंडर न्याय को केंद्रीय मुद्दे के तौर पर शामिल करना।
- ट्रांस नेतृत्व वाले ग्रुपों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जाने के समय या मांगे रखे जाने के समय उनका साथ देना।
- सुनिश्चित करें कि तमाम अभियान-स्थलों पर ट्रांस व्यक्तियों के प्रति दोस्ताना रवैया हो और ट्रांस व्यक्तियों को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिले, उनकी बात सुनी जाए और यह सिर्फ दिखाने भर के लिए नहीं हो।
- जिन ट्रांस व्यक्तियों/समुदायों के पास कानूनी लड़ाई के लिए जरूरी संसाधन नहीं हैं, उन्हें पर्याप्त कानूनी मदद मुहैया कराई जाए।

भारत में

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार

संगठन क्या कर सकते हैं

ट्रांस व्यक्तियों को रोजगार दें और सुनिश्चित करें कि उन्हें कार्यस्थलों पर भेदभाव रहित माहौल मिले और उनकी शिकायतें सुनने व उनका निपटारा करने की उचित व्यवस्था हो।

एलजीबीटी समुदाय के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को दस्तावेजों में लिखित रूप में दर्ज करें ताकि सार्वभौमिक स्तर पर समय-समय पर इनकी समीक्षा हो सके और विभिन्न "अंतरराष्ट्रीय निगरानी तंत्र" इनका उपयोग कर पाएं।

ट्रांस नेतृत्व वाले समूहों के साथ मिलजुल कर कार्य करें ताकि ट्रांस समुदाय की मदद/समर्थन के अभियान को मजबूत किया जा सके।

कानून लागू करने वाली पुलिस जैसी एजंसियों के लिए, कानून जागरूकता वर्कशाप आयोजित की जाएं और पुलिस को ट्रांस व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनाया जाए।

शब्दावली

इंटरसेक्स – इंटरसेक्स वे लोग हैं जिनमें असामान्य यौन विशेषताएं (शारीरिक, गुणसूत्र संबंधी, हार्मोनल आदि) होती हैं और जो पुरुष या महिला की सामाजिक, कानूनी और मेडिकल किसी भी श्रेणी में नहीं आते। इंटरसेक्स लोग ट्रांसजेंडर हो भी सकते हैं और नहीं भी।

ट्रांसजेंडर – उन व्यक्तियों के लिए यह एक व्यापक अवधारणा है, जिनकी जेंडर पहचान और/या जेंडर अभिव्यक्तियां, उस सेक्स के विपरीत होती हैं, जो उन्हें उनके जन्म के समय सामान्य तौर पर प्रदान किया जाता है।

सिसजेंड़र – कुछ लोग इस अवधारणा का उपयोग ऐसे व्यक्तियों को व्याख्यायित करने के लिए करते हैं जो ट्रांसजेंडर नहीं हैं। "सिस" लेटिन उपसर्ग है, जिसका मतलब है "समान रूप से" और इसलिए यह "ट्रांस" का विपरीत है। जो लोग ट्रांसजेंडर नहीं हैं, उन्हें व्याख्यायित करने के लिए सामान्य तौर पर "गैर-ट्रांसजेंडर" लोग कहा जा सकता है

जेंडर "गैर-अनुकूल" (जेंडर नॉन-कन्फर्मिंग) – यह अवधारणा ऐसे व्यक्तियों को व्याख्यायित करने के लिए है जिनकी जेंडर अभिव्यक्ति मर्दाना और जनाना जैसे पारंपरिक चलन से अलग होती है। यहां यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि सभी जेंडर "गैर-अनुकूल" व्यक्तियों को ट्रांसजेंडर नहीं कहा जा सकता है और न ही सभी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को जेंडर "गैर-अनुकूल" कहा जा सकता है। बहुत से व्यक्तियों की जेंडर अभिव्यक्ति पूरी तरह से पारंपरिक नहीं होती है और सिर्फ इसी आधार पर उन्हें ट्रांसजेंडर नहीं कहा जा सकता है। बहुत से ट्रांसजेंडर पुरुषों व महिलाओं की जेंडर अभिव्यक्ति पारंपरिक मर्दाना या जनाना ही होती है। सिर्फ ट्रांसजेंडर होने मात्र से ही कोई व्यक्ति जेंडर "गैर-अनुकूल" नहीं बन जाता।

https://www.glaad.org/reference/transgender पर और अधिक जानकारी उपलब्ध है।

the yp foundation

INTERSECTIONAL | FEMINIST | RIGHTS-BASED

/ theypfoundation

द वाईपी फांउडेशन युवाओं का विकास करने वाला संगठन है जो विभिन्न मुद्दों, जैसे - जेंडर, सेक्सुअलिटी, शिक्षा, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी - पर युवा लोगों के "महिला अधिकारवादी व अधिकार" आधारित नेतृत्व का निर्माण करता है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत हैं कि नवीनतम सूचनाओं, सेवाओं और अधिकारों तक युवा लोगों की सहज पहुंच हो। हम युवाओं की क्षमता का निर्माण करते हैं ताकि वे निजी व सामाजिक बदलावों के वाहक बन सकें। आप हमारे कार्यों के बारे में अधिक जानकारी theypfoundation.org पर प्राप्त कर सकते हैं।

Research and Writing: Gee Imaan Semmalar Illustration and Design: Kruttika Susarla
Editing and Review: L. Ramakrishnan, Manak Matiyani, Pramada Menon Translation: Harinder Ranawat

Produced by The YP Foundation with support from CHOICE FOR YOUTH & SEXUALITY